

दिनांक 23.02.2022

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर

विषय: ग्राम पुरना व पेठ तहसील घोरावल जिला सोनभद्र की वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित 57.559 हे० गैर वन भूमि से संबन्धित तरमीमी मानचित्र के संबन्ध में।

संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्र संख्या 1524/33-1 दिनांक, मिर्जापुर जनवरी 20, 2022 ।

महोदय,

उपरोक्त पत्र दिनांक जनवरी 20, 2022 (जो दिनांक 18.02.2022 को व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त हुआ) के द्वारा आपने तरमीमी नक्सा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है, जिसके संबन्ध में आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना आवश्यक होगा :-

- 1- यह कि ग्राम पुरना की 38.2156 हे० हस्तांतरित भूमि क्षेत्र पर वर्तमान नक्शे के अनुसार वन विभाग का कब्जा है, उस क्षेत्र को चिन्हित करते हुए कृपया नक्शा उपलब्ध कराया जाय जिससे कि तरमीमी नक्शे में उसी भाग को राजस्व न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर नक्शे में संसोधन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये नक्शे के आधार पर राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट करने में सहूलियत होगी तथा यह कार्य जिलाधिकारी महोदय के स्तर से सुचारुरूप से सम्पन्न हो सकेगा। आपके कब्जे वाले क्षेत्र की जानकारी के अभाव में राजस्व अधिकारी अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं तथा सही आख्या के अभाव में तरमीमी नक्शा त्रुटिपूर्ण हो सकता है, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।
- 2- यह कि इसी प्रकार ग्राम पेढ की 19.3545 हे० हस्तांतरित भूमि क्षेत्र पर वर्तमान नक्शे के अनुसार वन विभाग का कब्जा है, उस क्षेत्र को चिन्हित करते हुए नक्शा उपलब्ध कराया जाय जिससे कि तरमीमी नक्शे में उसी भाग को राजस्व न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर नक्शे में संसोधन किया जा सके। आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये नक्शे के आधार पर राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट करने में सहूलियत होगी तथा यह कार्य जिलाधिकारी महोदय के स्तर से सुचारुरूप से सम्पन्न हो सकेगा। आपके कब्जे वाले क्षेत्र की जानकारी के अभाव में राजस्व अधिकारी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं तथा सही आख्या के अभाव में तरमीमी नक्शा त्रुटिपूर्ण हो सकता है, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।
- 3- यह कि वर्तमान खतौनी ग्राम पेढ की खाता संख्या 00329 में खतौनी के कम्प्यूटरीकृत किये जाने के समय हस्तांतरित भूमि नं० 308ख के स्थान पर लिपिकीय भूल से 308घ अंकित हो गया है, जिसे भी खतौनी में शुद्ध कराने की कार्यवाही तहसीलदार / उपजिलाधिकारी के स्तर से होना अपेक्षित है।

कमश: 2/

Hindalco Industries Limited


P.O. Renukoot-231217, District. Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 252077-79/254791-96 | Fax: +91 5446 252107/252427 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093

T: +91 22 6691 7000 | Fax: +91 22 6691 7001

Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238



-: 2 :-

- 4- यह कि, चूँकि उक्त जायदाद का हस्तान्तरण होकर नामान्तरण की कार्यवाही हो चुकी है तथा वन विभाग का नाम अभिलेखों पर अंकित हो चुका है, इस कारण कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का वाद का विधिक अधिकार (Locus Standi) नहीं होगा। इसलिए वाद की कार्यवाही वन विभाग के नाम से किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत होगा।
- 5- किन्तु यदि फिर भी कम्पनी द्वारा इसकी पैरवी करनी हो तो यह वाद प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त प्रकरणों में तीन अदद अधिकार पत्र व वकालतनामा की आवश्यकता होगी। बिन्दु 1 व 2 में किये गये उल्लेख के अनुसार कब्जे को चिन्हित किया हुआ नक्शा जो आपके द्वारा सत्यापित हो, के साथ तीन अदद अधिकार पत्र व वकालतनामा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
- 6- यह कि वर्तमान समय में सभी अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है तथा कोई वाद चुनाव के बाद ही दाखिल हो पायेगा। इस बीच आपके स्तर से आवश्यक कागजात उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराया जाय जिससे समय से वाद प्रस्तुत किया जा सके।
- 7- यहाँ पर यह कहना भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वाछिंत तरमीमी नक्शा प्राप्त करने में वाद की कार्यवाही में कम से कम 6 माह का समय लग सकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कागजात उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे तत्परता से कार्यवाही की जा सके एवं प्रकरण को हल किया जा सके।

सधन्यवाद,

भवदीय,

कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(विवेक कुमार)

हेड-लीगल

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र आपके पत्र दिनांक 18.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

